

10.19 पशावली पेश हुई। वकील वादी व
वादी को वा. 2 को वाजे लगाई गई।
परंतु वा. 5 वजे तक वादी एवं
वादी अधिवक्ता को वाजे लगाने के वाक्य
द्वारा कदालत नहीं काये गत;
वाद वादी कदम पैरवी। अदम दामिनी
में इसी स्टेज पर स्वाविज किया
जाता है। पशावली केवल शुमा हीवा
गमपर से कत की जावा दाखिल
दखल ही। निर्वाय मैच द्वारा खुले
न्यायालय लिखकर सुनाया गया।

सादुलशाहर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशाहर

